

IMPORTANT NOTICE FOR ELIGIBLE CANDIDATES- DOCUMENTS VERIFICATION FOR TRAINING OF ACT APPRENTICE- 2025-26.

1.	उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने मूल दस्तावेजों के साथ ई-एडमिट कार्ड में उल्लिखित दिन और सत्र में डीवी में शामिल हों। The candidates are instructed to attend the DV on allotted day and session as mentioned in the E-admit card, along with their original documents.
2.	अधिसूचना संख्या आरआरसी/एनआर-05/2025/अधिनियम अपरेंटिस में दर्शाए गए विस्तृत निर्देश का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। The detailed instruction as indicated in the Notification No. RRC/NR-05/2025/Act Apprentice should be followed scrupulously, otherwise the candidature of the candidate will be cancelled and no appeal would be considered.
3.	उम्मीदवार को वेबसाइट से ई-प्रवेश पत्र का स्पष्ट प्रिंटआउट (फ्रंट और बैक पेज) डाउनलोड करने और लेने का निर्देश दिया जाता है। उम्मीदवार को डाक द्वारा ई-प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। Candidate is instructed to download and take clear printout (front and back pages) of E-admit Card from the website. E-admit Card will not be sent to candidate by post.
4.	उम्मीदवारों को मूल रूप से डीवी कॉल लेटर प्रस्तुत किए बिना दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बुलावा पत्र हस्तांतरणीय नहीं है। The candidates will not be allowed to enter for Verification of Documents without producing DV call letter in original. This call letter is not transferable.
5.	दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी मूल प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों और अधिसूचना के अनुसार निर्धारित सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के एक सेट के साथ आएँ। दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। Candidates provisionally Shortlisted for DOCUMENTS VERIFICATION are advised to come along with All the Original certificates/documents and one set of SELF-ATTESTED photocopies of all the documents that have been prescribed as per the notification. The following original documents along with a self-attested copy should be furnished at the time of Documents Verification.
	जन्म तिथि का प्रमाण: एसएससी / मैट्रिक / 10 वीं प्रमाण पत्र या जन्मतिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के सत्यापन के लिए कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। Proof of Date of Birth: SSC/Matriculation/10 th Certificate or DOB Certificate. No other documents will be accepted for verification of date of birth.
	➤ शैक्षिक योग्यता का प्रमाण: संबंधित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एसएससी / मैट्रिक / 10 वीं पास मार्कशीट और प्रमाण पत्र। संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से सीजीपीए/ओजीपीए/पत्र ग्रेड से अंकों के प्रतिशत में परिवर्तन प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। Proof of Educational Qualification: SSC/Matriculation/10 th pass marksheet & certificate issued by the concerned recognised Education Board. Conversion certificate from CGPA/OGPA/Letter Grade to percentage of Marks, if applicable, from concerned University/Institute.
	➤ तकनीकी योग्यता (आईटीआई) का प्रमाण: एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा जारी आईटीआई की सेमेस्टर-वार / वर्षवार और समेकित मार्कशीट। एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा जारी अंतिम आईटीआई प्रमाण पत्र। Proof of Technical Qualification (ITI): Semester-wise/year wise and consolidated mark sheets of ITI issued by NCVT/SCVT. Final ITI certificate issued by NCVT/SCVT.
	➤ जातिप्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा एससी / एसटी / ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र (वेबसाइट www.rrcnr.org पर उपलब्ध)। ओबीसी उम्मीदवारों को उचित प्राधिकारी द्वारा 01/04/2025 को या उसके बाद जारी केंद्र सरकार के प्रारूप में वर्तमान वर्ष 2025-26 के लिए वैध जाति प्रमाण पत्र और नोन क्रिमीलेर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। Caste Certificate: SC/ST/OBC(NCL) certificate by reserved candidates in the prescribed format issued by Competent Authority (available on website www.rrcnr.org). The OBC candidates must produce Caste certificate and Non-Creamy Layer Certificate valid for the current year 2025-26 in Central Government Format issued on or after 01/04/2025 by appropriate authority.
	➤ संस्थान के प्रधानाचार्य से परिणाम के प्रकाशन की तारीख का उल्लेख करने वाला प्रमाण पत्र जहां से उम्मीदवार अपनी कक्षा दसवीं / आईटीआई का अध्ययन करते हैं। Certificate mentioning the date of publication of result from the Principal of the Institute from where the candidates pursue his/her Class Xth /ITI if applicable.
	➤ पहचान पत्र: उम्मीदवारों को अपना ई-प्रवेश पत्र एक वैध फोटो आईडी (जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट

	<p>(आधार की ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं), ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जारी किए गए पहचान पत्र के साथ लाना होगा। नियोक्ता द्वारा यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है, कॉलेज / विश्वविद्यालय फोटो आईडी कार्ड, यदि अभी भी अध्ययन कर रहा है, तो मूल रूप से डीवी स्थान पर, असफल होने पर उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नाम, तिथि आईडी पर जन्म और फोटो ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण से मेल खाना चाहिए, ऐसा न करने पर उम्मीदवार को दस्तावेज़ सत्यापन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।</p> <p>Identity Card: Candidates must bring their E-admit Card along with a valid Photo ID (viz. Voter Card, Aadhaar Card, printout of e-Aadhaar (not Xerox copy of Aadhaar), Driving License, PAN card, Passport, Identity Card issued by the employer in case the candidate is a Govt. employee, College / University Photo ID card, if still studying, in ORIGINAL to the DV Venue, failing which candidates shall NOT be allowed to appear for the Documents Verification (DV). The name, date of birth and photo on ID should match with the details furnished in the online application, failing which the candidate may not be permitted to appear in DV.</p>
	<p>कोई अन्य प्रमाण पत्र, जैसा कि विज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया है।</p> <p>Any other certificate, as specified in the advertisement.</p>
	<p>चिकित्सा प्रमाण पत्र: एक चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना है, जो कि सरकारी प्राधिकरण डॉक्टर (राज पत्रित) द्वारा जारी किया गया हो, जो कि केंद्रीय / राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे के ना हो निर्धारित प्रारूप में अपरेंटिस अधिनियम, 1961 और प्रशिक्षु नियम - 1992 के पैरा -4 के अनुसार जारी किया गया हो। (प्रतिलिपि संलग्न)।</p> <p>Medical Certificate: One Medical Certificate is to be necessarily submitted, issued by Government Authority Doctor (Gaz.) not below the rank of Assistant Surgeon of Central/State Hospital in the prescribed format as per Apprentices Act., 1961 and Para-4 of apprentices Rules, 1992 (copy enclosed).</p>
	<p>ई-प्रवेश पत्र की घोषणा का कॉलम खाली छोड़ दिया जाना चाहिए और केवल डीवी स्थल पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में भरा जा सकता है।</p> <p>Column of declaration of E-admit Card should be left blank and can only be filled up in the presence of invigilator at DV Venue.</p>
6.	<p>ई-प्रवेश पत्र की घोषणा के कॉलम में बड़े अक्षरों में लिखने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, क्यों कि रनिंग हैंड राइटिंग अनिवार्य / आवश्यक है। हस्ताक्षर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आवेदन पत्र में है। अभ्यर्थी को उपस्थिति पत्रक पर ध्यान से बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।</p> <p>The candidature of the candidate will be summarily rejected if writing in capital letters in the Column of declaration of E-admit card, as running hand writing is mandatory/required. Signature should be exactly the same as in the application form. Candidate has to carefully offer left thumb impression on the attendance sheet.</p>
7.	<p>ई-प्रवेश पत्र का शीर्ष भाग डीवी के पूरा होने के बाद रेलवे अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए।</p> <p>The top portion of the e-call letter must be handed over to the Railway officials, after completion of the DV.</p>
8.	<p>सभी पूर्व सर्विसमैन उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से अपना जाति प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), डिस्चार्ज बुक और पेंशन के कागजात मूल रूप से और उसी की जेरोक्स प्रतियों को विधिवत स्व-सत्यापित करना होगा।</p> <p>ALL Ex. Serviceman candidates have to necessarily bring their Caste Certificate (if any), Discharge Book and Pension papers in original and Xerox copies of the same duly self- attested.</p>
9.	<p>सभी PwBD उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से अपना जाति प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), मूल रूप से PwBD प्रमाणपत्र और उनकी विधिवत स्वप्रमाणित जेरोक्स प्रतियाँ लाना आवश्यक है।</p> <p>All PwBD candidates have to necessarily bring their Caste Certificate (if any), PwBD certificate in original and Xerox copies of the same duly self-attested.</p>
10.	<p>ई-प्रवेश पत्र केवल दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए उपस्थित होने की अनुमति है और किसी भी तरह से प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार की इंगेजमेंट की गारंटी नहीं देता है। यह ई-प्रवेश पत्र जारी करना किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि आरआरसी एनआर, लाजपतनगर, नई दिल्ली अन्यथा ऑनलाइन आवेदनपत्र, विवरण और दस्तावेजों से संतुष्ट है।</p> <p>E-admit Card is only a permission to appear for the Documents Verification (DV) and in no way guarantees engagement of the candidate for training. Issuing this E-admit Card does not in any way indicate that RRC NR, Lajpat Nagar, New Delhi is otherwise satisfied with online application form, details and documents.</p>
11.	<p>उम्मीदवार को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि डीवी के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या इकाइयों द्वारा योग्य घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या है। इसलिए, केवल डीवी में अर्हता प्राप्त करने से उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने का हकदार नहीं हो जाता है और प्रशिक्षण के लिए चयन प्रक्रिया के अगले चरण केवल मौजूदा नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं।</p> <p>Candidate is hereby informed that the number of candidates being called for DV is the total candidates declared eligible by the units. Hence, merely qualifying in DV does not entitle a candidate, for inclusion in the next stage of selection process and the next stages of selection process for training is guided by extant rules only.</p>
12.	<p>दस्तावेज़ सत्यापन का परिणाम भी नियत समय में आरआरसी-एनआर की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बेईमान तत्वों और दलालों द्वारा डाली गई फर्जी वेबसाइट से सावधान</p>

	रहें। The result of DV would also be uploaded on the official website of RRC-NR in due course. Candidates are advised to beware of fake website put up by unscrupulous elements and touts.
13.	अंतिम रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों को उपयुक्त चिकित्सा मानक में फिट पाए जाने के विषय में प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जाएगा Candidates finally enlisted would be engaged for training subject to be found fit in appropriate Medical standard
14.	उम्मीदवारों को नवीनतम अपडेट के लिए आरआरसी एनआर, लाजपत नगर, नई दिल्ली वेबसाइट के नोटिस बोर्ड की जांच करते रहना चाहिए और सभी चरणों को अंतिम रूप देने तक अपनी पंजीकृत मेल आईडी / मोबाइल नंबर को चालू स्थिति में रखना चाहिए। Candidates should also keep checking the Notice Board of RRC NR, Lajpat Nagar, New Delhi website for latest updates and keep their registered mail id/mobile no. in working condition, till the finalization of all stages.
15.	दस्तावेज़ सत्यापन में प्रतिरूपण / कदाचार / अनुशासनहीनता उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगी और उसे भविष्य के सभी रेलवे प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार पर कानून के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है। Impersonation/malpractice/indiscipline in the Documents Verifications will disqualify the candidate and he/she will be debarred from all future railway training. Candidate is also liable to be prosecuted under law.
16.	बिना कोई कारण बताए किसी भी उम्मीदवारी की स्वीकृति या अन्यथा के संबंध में या उम्मीदवारों के चयन और उनके प्रशिक्षण के संबंध में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। The decision of the Railway administration in regard to acceptance or otherwise of any candidature even without assigning any reason or in regard to selection of the candidates and their training will be final.
17.	प्रशासनिक अत्यावश्यकता के मामले में, सभी / कुछ उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन का स्थान / तिथि / समय बदला जा सकता है। In case of administrative exigency, the venue/date/time of Documents Verifications may be changed for all/some of the candidates.
18.	कोई छात्रावास आवास प्रदान नहीं किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को शिक्षता अधिनियम, 1961 के अनुसार अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी और उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने पर रिहा कर दिया जाएगा। No hostel accommodation will be provided and selected candidates will have to make their own arrangement during their training as per Apprenticeship Act, 1961 and they will be released on completion of the training.
19.	अधिनियम अपरेंटिस के अनुसार, रेलवे की ओर से अपरेंटिस प्रशिक्षण पूरा होने पर अपरेंटिस को किसी भी रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं है। तदनुसार, अधिनियम अपरेंटिस जिन्हें रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनके पास ऐसे प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं होगा। As per the Act. Apprentices, it is NOT obligatory on the part of the Railways to offer any employment to the Apprentices on completion of their Apprenticeship Training. Accordingly, the Act Apprentices who will be imparted training in Railway establishments will have no claim to seek employment on Railways on the basis of such training.
20.	अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र के साथ अंग्रेजी / हिंदी में स्व-सत्यापित अनुवाद होना चाहिए। Certificate in languages other than English or Hindi should be accompanied by a self-attested translation in English/Hindi.
21.	उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन संख्या आरआरसी/एनआर-05/2025/एक्ट अपरेंटिस में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। Candidates are requested to ensure that they fulfill all the eligibility criteria as mentioned in the advertisement No. RRC/NR-05/2025/Act Apprentice Before appearing for the Documents Verification process.
22.	Help Desk :- For any problem/information call on Mobile No. 9560268721, 9560268722.